



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226323
CG-DL-E-01042021-226323

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1327]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 1327]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

(आयकर)

का.आ. 1434(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके पश्चात इसे उक्त अधिनियम से रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 120 की उप-धारा (1), (2), तथा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, निर्देश देता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन केंद्र (जिसे बाद में (एन ए एफ ए सी रूप में संदर्भित किया गया) के आयकर प्राधिकारी जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों पर हैं, भारत के भूभाग में सभी व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा आय अथवा आयों के वर्ग, अथवा मामले अथवा मामलों के वर्ग के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 144(ख) के अंतर्गत पहचान विहीन निर्धारण कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए समवर्ती रूप से निर्धारण अधिकारियों की शक्तियों और कार्यों का निष्पादन करेंगे जिसमें भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की का.आ. 2814(अ) वाली अधिसूचना संख्या 57/2014 अथवा भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की का.आ. 2915 (अ) वाली अधिसूचना संख्या 70/2014 द्वारा आच्छादित व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा आय अथवा आयों के वर्ग अथवा मामले अथवा मामलों के वर्ग शामिल नहीं हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	आयकर प्राधिकारी	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
1	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी), दिल्ली	दिल्ली
2	आयकर अधिकारी (मुख्या.), कार्यालय-प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त(एन ए एफ ए सी), दिल्ली.	दिल्ली
3	आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1, दिल्ली	दिल्ली
4	आयकर अधिकारी (मुख्या.), कार्यालय-आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1, दिल्ली	दिल्ली
5	अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1(1), दिल्ली.	दिल्ली
6	उप/ सहायक आयकर आयुक्त(एन ए एफ ए सी)-1(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
7	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
8	अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1(2), दिल्ली.	दिल्ली
9	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
10	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-1(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली
11	आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2, दिल्ली	दिल्ली
12	आयकर अधिकारी (मुख्या.), कार्यालय-आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2, दिल्ली	दिल्ली
13	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(1), दिल्ली.	दिल्ली
14	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
15	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
16	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(2), दिल्ली.	दिल्ली
17	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
18	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-2(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली
19	आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3, दिल्ली	दिल्ली
20	आयकर अधिकारी(मुख्या.), कार्यालय-आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3, दिल्ली	दिल्ली
21	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3(1), दिल्ली.	दिल्ली
22	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
23	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
24	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3(2), दिल्ली.	दिल्ली
25	उप /सहायक आयकर आयुक् (एन ए एफ ए सी)-3(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
26	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-3(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली
27	आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4, दिल्ली	दिल्ली

28	आयकर अधिकारी(मुख्या.), कार्यालय-आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4, दिल्ली	दिल्ली
29	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(1), दिल्ली.	दिल्ली
30	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
31	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
32	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(2), दिल्ली.	दिल्ली
33	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
34	उप /सहायक आयकर आयुक्त (एन ए एफ ए सी)-4(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली”

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 22/2021/फा. सं. 187/3/2020-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक